

पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन
क्रिया तथा, पत्रकारन को नोटिस
जारी हो पत्रावली दिनांक 3.5.18
केम्प कोर्टापीपिंट को पेश हो।

31/5/18 पत्रावली लोक अदालत केम्प कोर्टापीपिंट
में पेश हुई। वादी एक बड़ीलाल उपास्थल।
वादी ने अपने किये कि प्रतिवादीण वादी को
उसकी खातेदारी आराजी से बंदखल करने
पर आग्रह है तथा वादी के अकले कारन
में दखलदानी करते हैं। दफते विपरित
प्रतिवादी नं०। ने वादी के अपने का खण्डन
ठिकत। मतमें आम में पत्रावली का अवलोकन
ठिकत तथा प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक
विकारण ठिकत। वादी विवादित आराजी
का खातेदार राजस्व रिजॉर्ड से प्रमाणित
है, जिससे RTI की धारा 188 में रिलीफ
प्राप्त करने का अधिकारी है। मतः वाद
वादी खीरा ठिकत जाकर आदेश दिसे
जाते हैं कि विवादित आराजी वाडे ग्राम

नि. 8 वाडी

पत्रावली

खुश

खरपल
(वाडी)

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स

अदालत
हुकम को
जारी हुए

त्रेड्वादीपमिदं नदलील दीकोद रिस्त ख० न०
 1600 रुना 0.03 हे० भूमि के उपयोग
 उपयोग में एवं वादी के कब्जे कार्य में
 किसी प्रकार की दखलदांजी उत्पन्न
 नहीं करें। इस आशय में स्थायी
 निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतियादीगव जारी
 की जाती है। निर्णय मजमे आम में
 सरे इजलास सुनाया गया। नदुसार
 रिक्री जारी हो। पत्रजली फुलल शुआर
 होकर राखिल दफ्तर हो।

X

अदालत
हुक्म की
जारी हुए

डिक्री मुकदमा
(आ 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक
अदालत केम्प कोटडादीपरसिंह

उनवान

1. बद्रीलाल पुत्र पन्नालाल
2. सत्यनारायण पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासीगण कोटडादीपरसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा

-वादीगण

बनाम

1. गैरूलाल पुत्र गोपाल
2. लेखराज पुत्र गोपाल
3. मुराशी पुत्र गोपाल
4. नन्दलाल पुत्र गोपाल
5. रामलाल पुत्र गोपाल जाति माली निवासीगण कोटडादीपरसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर- 22/18

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रु-ब-रु मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. वहाजिरी गिनजानिव मुद्दई रुबरु गिनजानिव मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडादीपरसिंह तहसील दीगोद स्थित ख0न0 1600 रकबा 003 हे0 भूमि पर वादी के उपयोग उपभोग में एवं कब्जे काश्त में किरसी प्रकार की दखलदाजी नहीं करें।" तदनुसार अंतिम डिक्री लोक अदालत केम्प कोटडादीपरसिंह में जारी की जाती है। मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 03.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्ई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प ककालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प कजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुता	0	0	मुता	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर
दीगोद